



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06-08-2020

दिनांक 05/06-08-2020 को रात्रि थाना मोहनलालगंज 03, मडियाँव 05 गिरफ्तार।

इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

थाना मोहनलालगंज:-दिनांक 05-08-2020 को एस0आई0 श्री राज वीर सिंह थाना मोहनलालगंज लखनऊ लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-आशीष रावत पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम परसपुर ठटा थाना निगोहा लखनऊ को बेलहनी खेड़ा मोड़ मोहनलालगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

इन्दिरानगर:-दिनांक 06-08-2020 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि दिनांक 05-08-2020 को वादी श्री दिनेश राजपूत पुत्र स्व0 श्री राम गोपाल राजपूत निवासी मकान नं0 652/206 सेक्टर-सी0 सबौली थाना विकासनगर लखनऊ द्वारा थाना इन्दिरानगर पर अपनी बहन श्रीमती ञीला उम्र करीब 21 वर्ष के सम्बन्ध में धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 03/04 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 1-ननकू (पति) के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 गाजीपुर लखनऊ द्वारा की जा रही थी। जिनके निर्देशान में आज दिनांक 06-08-2020 को एस0आई0 श्री पन्ने लाल यादव थाना इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-ननकू पुत्र स्व0 मुनेठवर प्रसाद निवासी बी-ब्लाक मुंठीपुरवा थाना इन्दिरानगर लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर मुंठीपुलिया चौराहे से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरानगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना आटियाना:-दिनांक 06-08-2020 को थाना आटियाना द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती माया देवी पत्नी राम करन निवासी करनपुर पोस्ट मीरखनगर थाना निगोहा लखनऊ ने थाना आटियाना पर सूचना दिया कि वादिनी की बहन सविता उम्र करीब 20 वर्ष की ञादी दिनांक 04-05-2020 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, ञादी के बाद से ही वादिनी की बहन के उसके ससुरालीजन 01-सोनू (पति) 02-जेठ 03-जेठानी आदि ससुरालीजन वादिनी की बहन के साथ आये दिन दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करते थे व मारपीट करते थे तथा दहेज में मोटर साइकिल व नकदी की मांग को लेकर प्रताडित करते थे, तथा कई बार वादिनी की बहन को उक्त लोगो ने मारने की कोटाटा भी की थी। आज दिनांक

06-08-2020 को प्रातः वादिनी को फोन द्वारा सूचना मिली कि उसकी बहन सविता की हालत गम्भीर है और आप लोग आ जाये, इस सूचना पर वादिनी अपने परिवार के साथ मौके पर अपनी बहन के ससुराल उसरी बंगला बाजार थाना आटियाना लखनऊ गयी तो देखा कि वादिनी की बहन सविता उम्र करीब 19 वर्ष का ७व घर में पड़ा था, उपरोक्त लोगो ने वादिनी की बहन को दहेज की मांग को हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना आटियाना पर मु०अ०सं० 395/2020 धारा 498ए/304बी/506/323 भादवि व धारा 03/04 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 1-सोनू (पति) 2-सोनू के बड़े भाई नाम अज्ञात 3-सोनू के बड़े भाई की पत्नी नाम अज्ञात 4-सोनू का छोटा बहनोई नाम अज्ञात 5-सोनू की छोटी बहन नाम अज्ञात 6-भुल्लन चाचा ससुर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना ए०सी०पी० कैंट लखनऊ द्वारा की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक पी०जी०आई० द्वारा बताया गया कि मृतका का पति सोनू सब्जी की दुकान लगाता है।

थाना बंधरा:-दिनांक 06-08-2020 को थाना बंधरा द्वारा बताया गया कि श्रीमती रानी देवी पत्नी स्व० सुरेष्ठा कुमार निवासी ग्राम खसरवारा बन्थरा लखनऊ ने थाना बंधरा पर सूचना दिया कि उसका बेटा सोनू जो करीब 08 वर्ष से पेट की बीमारी से परेशान था, जिसका इलाज लखनऊ अस्पताल बंधरा में चला रहा था। आज दिनांक 05/06-08-2020 की बीति रात्रि समय करीब 01.00 बजे उसके बेटे सोनू उम्र करीब 25 वर्ष ने अपनी पेट की बीमारी के कारण घर के आंगन में लगे लोहे की पाइप में जूट की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। जिसके बिस्तर पर तकिया के नीचे से एक पत्र भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या बीमारी के कारण करने की बात अंकित किया है। इस सूचना पर एस०आई० श्री राजेश कुमार मो०नं० 8840490417 द्वारा आवश्यक वैद्यनिक कार्यवाही की जा रही है।